बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 201158 पटना, दिनांक 12/09/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(Mon)-102-30/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) के नियोजन के साथ-साथ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की व्यवस्था के तहत जिला में उपलब्ध पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा लेने की कार्रवाई पूर्ण करने के संबंध में**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-174653 दिनांक-20.01.14 द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) के नियोजन हेतु सभी चयनित आवेदकों को दिनांक 15.02.14 तक नियोजन पत्र हस्तगत कराने का निदेश दिया गया था, बाद में विभागीय पत्रांक-177126 दिनांक-12.02.14 द्वारा इसमें दो दिन की बढ़ोतरी की गयी । कतिपय जिलों में नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहने के कारण विभागीय पत्रांक-186087 दिनांक-23.05.14 द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया था कि दिनांक 31.05.14 तक जिला के लिए कर्णांकित पदों के अनुसार चयनित आवेदकों को नियोजन पत्र हस्तगत करा दिया जाय ताकि इनकी सेवाओं का उपयोग योजना कार्यान्वयन में हो सके । किन्तु खेद के साथ कहना है कि 3 (तीन) माह बीत जाने के बाद भी कतिपय जिलों में पूर्ण रूप से नियोजन नहीं हो सका है । फलस्वरूप जहाँ इन कार्मिकों को योजना के कार्यान्वयन में लगाने का कार्य विफल हो रहा है वहीं जिन आवेदकों का नियोजन किया जाना अपेक्षित है उनमें आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है और वे अनवरत विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते आ रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत जिला में उपलब्ध पैनल से प्रत्येक 10 पंचायत के लिए एक कार्यपालक सहायक की सेवा लेकर आवास सॉफ्ट के कार्य में लगाये जाने का भी निदेश विभागीय पत्रांक-188381 दिनांक-16.06.14 द्वारा दिया गया था । किन्तु अबतक कितने कार्यपालक सहायकों की सेवा ली गयी इससे संबंधित प्रतिवेदन भी विभाग में नहीं भेजे गये हैं ।

विदित है कि योजना का पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से कार्यान्वयन के साथ-साथ कार्यकलापों को आवास सॉफ्ट पर अद्यतन रखा जाना आवश्यक है क्योंकि इसके आधार पर ही राज्य को योजनान्तर्गत निधि की विमुक्ति को सम्बद्ध किया गया है । ऐसी स्थिति में नियोजन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जाना अपेक्षित था ।

अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि हर हाल में दिनांक 30.09.14 तक जिला के लिए कर्णांकित पदों के अनुरूप नियोजन की कार्रवाई पूर्ण कर सभी नियोजित कार्मिकों का विवरण विभागीय पत्रांक-186785 दिनांक-30.05.14 में निहित प्रक्रिया के अंतर्गत अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा उसकी एक हार्ड कॉपी अलग से विभाग को सुलभ करायी जाय । उक्त तिथि तक नियोजन की कार्रवाई पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में इसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा के साथ विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव 12/9/14

E:\D Drive\Mukesh\MAY 2014.doc